

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-उत्पादन)

मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं० 0755-2674354 E-mail: apccfproduction@mpforest.org

क्रमांक/निर्वर्तन/2013/53/3686

भोपाल, दिनांक : 11/10/2013

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश

विषय :- वनोपज नीलाम मे बयाने (EMD) की राशि चैक द्वारा स्वीकार किये जाने की अनुमति बाबत।

—:00:—

विषयांकित संबंध में म.प्र. शासन, वन विभाग, भोपाल ने शासन के आदेश क्रमांक/समिति/406/105 दिनांक 09.10.2013 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा वनोपज नीलाम में बयाने की राशि (EMD) चैक द्वारा इस शर्त पर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की है कि, "प्रश्नाधीन प्रकरण में चैक से बयाने (EMD) की राशि भुगतान (Confirmation) सुनिश्चित हो जाने के बाद ही लाट मुक्त किया जावेगा"।

उपरोक्तानुसार अब बयाने की राशि क्रेता से चैक द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तथा बयाने की राशि का चैक प्राप्त होने पर, उक्त निर्देश का पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(डॉ.आर.पी.सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक : 11/10/2013

पृ.क्रमांक/निर्वर्तन/2013/53/3687

प्रतिलिपि:- समस्त वन मंडलाधिकारी (उत्पादन/क्षेत्रीय) म.प्र. की ओर सहपत्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल



15-10-13